

दिनांक-20.02.2015 को पटना मास्टर प्लान, 2031 के प्रारूप पर प्राप्त आपत्तियों के निष्पादन हेतु गठित समिति की चतुर्थ बैठक में विमर्शित एवं निष्पादित आपत्तियों का सारांशित विवरण एवं कार्यवाही प्रतिवेदन : -

(उपस्थिति : संलग्न)

1) इस बैठक में निष्पादित आपत्तियों की सूची एवं विवरण निम्न प्रकार हैं -

निष्पादित आपत्तियों की क्रम सं०	कोटिवार आपत्ति	आपत्तिकर्ता का नाम, पता, दूरभाष/मोबाईल नं०, ई-मेल आई०डी०/ आपत्ति एवं सुझाव का संदर्भ (मैप, रिपोर्ट, डी०सी०आर०)	आपत्ति/सुझाव का विवरण	समिति की अनुशंसा
(i)		(ii)	(iii)	(iv)
01	बुधरपुर	श्री सुमन्त सिंह ग्राम-यूसूफपुर पो०-फतुहा प्रखण्ड - थाना-खुसरूपुर पंचायत-हरदास बिगहा जिला-पटना (बिहार) मो०नं०-7277435189	श्रीमान अंचलाधिकारी महोदय भूमि अधिग्रहण नहीं करने के सम्बन्ध में। थाना नं-122, 123, मौजा हरदासबिगहा चादर नं-1 और 2, कुर्था-1 और 22, खिरोधरपुर 1 मेरा जमीन भूमि अधिग्रहण (मास्टर प्लान) जिला-पटना में लिया जा रहा है। जिसमें निम्नलिखित कारण से हमलोग सभी किसान अंचल कार्यालय में आपत्ति आवेदन दे रहे हैं। हमारे जमीन में सब्जी की खेती सालोभर लगा रहता है। हमारा जमीन बहुफसली है। जिसमें फुलगोभी, आलू, प्याज, दलहन, तेलहन, लहसुन, गेहूँ, धान, धनिया, हत्यादि की खेती होती है। इन फसलों से हमें प्रति डीसीमिल 10 हजार का लाभ मिलता है। (2) हमलोग के जमीन में आम का बगीचा अमरुद का बगीचा,सागवान के वृक्ष शीशम के वृक्ष लगा हुआ है। जो हमलोग को सालाना आमदनी अच्छा होता है। (3) कृषि आमदनी से ही हमारे परिवार का खाद्य समस्या, पढ़ाई लिखाई, दवा की व्यवस्था होती है। (4) सबसे प्रमुख आपत्ति हमारे आने वाले वंशज अर्थात् निचली पीढ़ी का है। लोग कहा घर बनाकर रहेंगे। (5) हमलोग के खेत 200 फीट की दूरी पर सभी किसान का बोरिंग हैं जिसमें डीजल पम्प सेट और बिजली पम्प सेट व चलाते हैं। इसलिए हमलोग का जमीन अधिग्रहण करने लायक नहीं है। अतः आपसे निवेदन है कि हमलोग का जमीन अधिग्रहण नहीं किया जाय।	मास्टर प्लान कार्यान्वयन के क्रम में भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित प्रावधान बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अध्याय-IX में किए गए हैं। मास्टर प्लान क्षेत्र में किसी क्षेत्र का समावेश उसके भविष्य को एवं सुनियोजित विकास को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। विकास की सम्भावनाओं के क्षेत्रों को मास्टर प्लान एरिया में शामिल नहीं करने पर बेतरतीब विकास की सम्भावना बनी रहती है। इसी के आलोक में उक्त क्षेत्रों को मास्टर प्लान क्षेत्र में शामिल किया गया है। यह क्षेत्रमास्टर प्लान में Agriculture Zone एवं Conservation Zone में आता है। इसमें कृषि कार्य किया जा सकता है।

ASB  
Sh. 20/2/15

02	शुसफपुर	<p>श्री लाल बाबु सिंह ग्राम-यूसूफपुर पो०-फतुहा प्रखण्ड - थाना- खुसरूपुर पंचायत-हरदास बिगहा जिला-पटना (बिहार)</p>	<p>श्रीमान अंचलाधिकारी महोदय भूमि अधिग्रहण नहीं करने के सम्बन्ध में। थाना नं-122, 123, मौजा हरदास बिगहा चादर नं-1 और 2, कुर्था-1 और 22, खिरोधरपुर 1 मेरा जमीन भूमि अधिग्रहण (मास्टर प्लान) जिला-पटना में लिया जा रहा है। जिसमें निम्नलिखित कारण से हमलोग सभी किसान अंचल कार्यालय में आपत्ति आवेदन दे रहे हैं। हमारे जमीन में सब्जी की खेती सालोभर लगा रहता है। हमारा जमीन बहुफसली है। जिसमें फुलगोभी, आलू, प्याज, दलहन, तेलहन, लहसुन, गेहूँ, धान, धनिया, हत्यादि की खेती होती है। इन फसलों से हमें प्रति डीसीमिल 10 हजार का लाभ मिलता है। (2) हमलोग के जमीन में आम का बगीचा अमरूद का बगीचा, सागवान के वृक्ष शीशम के वृक्ष लगा हुआ है। जो हमलोग को सालाना आमदनी अच्छा होता है। (3) कृषि आमदनी से ही हमारे परिवार का खाद्य समस्या, पढ़ाई लिखई, दवा की व्यवस्था होती है। (4) सबसे प्रमुख आपत्ति हमारे आने वाले वंशज अर्थात् नीचली पीढ़ी का हैं। लोग कहा घर बनाकर रहेंगे। (5) हमलोग के खेत 200 फीट की दूरी पर सभी किसान का बोरिंग हैं जिसमें डीजल पम्प सेट और बिजली पम्प सेट व चलाते हैं। इसलिए हमलोग का जमीन अधिग्रहण करने लायक नहीं है। अतः आपसे निवेदन है कि हमलोग का जमीन अधिग्रहण नहीं किया जाय।</p>	<p>मास्टर प्लान से भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजा, के सम्बन्ध में उपर की कंडिका स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है। कृषि कार्य के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।</p>
03	शुसफपुर	<p>श्री बाल्मीकि सिंह ग्राम-यूसूफपुर पो०-फतुहा प्रखण्ड - थाना- खुसरूपुर पंचायत-हरदास बिगहा जिला-पटना (बिहार)</p>	<p>श्रीमान अंचलाधिकारी महोदय भूमि अधिग्रहण नहीं करने के सम्बन्ध में। थाना नं-122, 123, मौजा हरदास बिगहा चादर नं-1 और 2, कुर्था-1 और 22, खिरोधरपुर 1 मेरा जमीन भूमि अधिग्रहण (मास्टर प्लान) जिला-पटना में लिया जा रहा है। जिसमें निम्नलिखित कारण से हमलोग सभी किसान अंचल कार्यालय में आपत्ति आवेदन दे रहे हैं। हमारे जमीन में सब्जी की खेती सालोभर लगा रहता है। हमारा जमीन बहुफसली है। जिसमें फुलगोभी, आलू, प्याज, दलहन, तेलहन, लहसुन, गेहूँ, धान, धनिया, हत्यादि की खेती होती है। इन फसलों से हमें प्रति Decimilitre 10 हजार का लाभ मिलता है। (2) हमलोग के जमीन में आम का बगीचा, अमरूद का बगीचा, सागवान</p>	<p>मास्टर प्लान के द्वारा भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजा, के सम्बन्ध में उपरोक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है। निजी भूखण्ड पर कृषि कार्य पर रोक नहीं है।</p>

		<p>के वृक्ष, शीशम के वृक्ष लगा हुआ है। जो हमलोग को सालाना आमदनी अच्छा होता है।</p> <p>(3) कृषि आमदनी से ही हमारे परिवार का खाद्य समस्या, पढ़ाई लिखाई, दवा की व्यवस्था होती है।</p> <p>(4) सबसे प्रमुख आपत्ति हमारे आने वाले वंशज अर्थात् नीचली पीढ़ी का हैं। लोग कहाँ घर बनाकर रहेंगे।</p> <p>(5) हमलोग के खेत से 200 फीट की दूरी पर सभी किसान का बोरिंग हैं जिसमें डीजल पम्प सेट और बिजली पम्प सेट व चलाते हैं। इसलिए हमलोग का जमीन अधिग्रहण करने लायक नहीं है।</p> <p>अतः आपसे निवेदन है कि हमलोग का जमीन अधिग्रहण नहीं किया जाय।</p>	
04	<p>श्री गुलाब चन्द सिंह पिता-स्व० बहादुर सिंह ग्राम-यूसूफपुर पो०-फतुहा प्रखण्ड - थाना- खुसरूपुर पंचायत-हरदास बिगहा जिला-पटना (बिहार) मो०नं०-9204612840</p>	<p>श्रीमान अंचलाधिकारी महोदय भूमि अधिग्रहण नहीं करने के सम्बन्ध में। थाना नं-122, 123, मौजा हरदास बिगहा चादर नं-1 और 2, कुर्था-1 और 22, खिरोधरपुर 1 मेरा जमीन भूमी अधिग्रहण (मास्टर प्लान) जिला-पटना में लिया जा रहा है। जिसमें निम्नलिखित कारण से हमलोग सभी किसान अंचल कार्यालय में आपत्ति आवेदन दे रहे हैं।</p> <p>हमारे जमीन में सब्जी की खेती सालोभर लगा रहता है। हमारा जमीन बहुफसली है। जिसमें फुलगोभी, आलू, प्याज, दलहन, तेलहन, लहसुन, गेहूँ, धान, धनिया, हत्यादि की खेती होती है। इन फसलों से हमें प्रति Decimilitre 10 हजार का लाभ मिलता है।</p> <p>(2) हमलोग के जमीन में आम का बगीचा, अमरुद का बगीचा,सागवान के वृक्ष, शीशम के वृक्ष लगा हुआ है। जो हमलोग को सालाना आमदनी अच्छा होता है।</p> <p>(3) कृषि आमदनी से ही हमारे परिवार का खाद्य समस्या, पढ़ाई लिखाई, दवा की व्यवस्था होती है।</p> <p>(4) सबसे प्रमुख आपत्ति हमारे आने वाले वंशज अर्थात् नीचली पीढ़ी का हैं। लोग कहाँ घर बनाकर रहेंगे।</p> <p>(5) हमलोग के खेत से 200 फीट की दूरी पर सभी किसान का बोरिंग हैं जिसमें डीजल पम्प सेट और बिजली पम्प सेट व चलाते हैं। इसलिए हमलोग का जमीन अधिग्रहण करने लायक नहीं है।</p> <p>अतः आपसे निवेदन है कि हमलोग का जमीन अधिग्रहण नहीं किया जाय।</p>	<p>उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।</p>

AS श्री. 3/1/2022 MU 6

05	श्री राबाबू सिंह पिता-स्व० रघुनंदन सिंह ग्राम-आदिलपुर पो०-फतुहा प्रखण्ड - थाना- खुसरूपुर पंचायत-हरदास बिगहा जिला-पटना (बिहार) मो०नं०-9693275032	श्रीमान अंचलाधिकारी महोदय भूमि अधिग्रहण नहीं करने के सम्बन्ध में। थाना नं-122, 123, मौजा हरदास बिगहा चादर नं-1 और 2, कुर्था-1 और 22, खिरोधरपुर 1 मेरा जमीन भूमी अधिग्रहण (मास्टर प्लान) जिला-पटना में लिया जा रहा है। जिसमें निम्नलिखित कारण से हमलोग सभी किसान अंचल कार्यालय में आपत्ति आवेदन दे रहे हैं। हमारे जमीन में सब्जी की खेती सालोभर लगा रहता है। हमारा जमीन बहुफसली है। जिसमें फुलगोभी, आलू, प्याज, दलहन, तेलहन, लहसुन, गेहूँ, धान, धनिया, हत्यादि की खेती होती है। इन फसलों से हमें प्रति Decimilitre 10 हजार का लाभ मिलता है। (2) हमलोग के जमीन में आम का बगीचा, अमरुद का बगीचा,सागवान के वृक्ष, शीशम के वृक्ष लगा हुआ है। जो हमलोग को सालाना आमदनी अच्छा होता है। (3) कृषि आमदनी से ही हमारे परिवार का खाद्य समस्या, पढ़ाई लिखाई, दवा की व्यवस्था होती है। (4) सबसे प्रमुख आपत्ति हमारे आने वाले वंशज अर्थात नीचली पीढ़ी का हैं। लोग कहाँ घर बनाकर रहेंगे। (5) हमलोग के खेत से 200 फीट की दूरी पर सभी किसान का बोरिंग हैं जिसमें डीजल पम्प सेट और बिजली पम्प सेट व चलाते हैं। इसलिए हमलोग का जमीन अधिग्रहण करने लायक नहीं है। अतः आपसे निवेदन है कि हमलोग का जमीन अधिग्रहण नही किया जाय।	उपर की कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।
06	श्री अर्जुन सिंह वो युगेश्वर सिंह पिता-राम ईश्वर सिंह ग्राम-खिरोधरपुर पो०-फतुहा प्रखण्ड - थाना- खुसरूपुर पंचायत-हरदास बिगहा जिला-पटना (बिहार)	श्रीमान अंचलाधिकारी महोदय भूमि अधिग्रहण नहीं करने के सम्बन्ध में। थाना नं-122, 123, मौजा हरदास बिगहा चादर नं-1 और 2, कुर्था-1 और 22, खिरोधरपुर 1 मेरा जमीन भूमी अधिग्रहण (मास्टर प्लान) जिला-पटना में लिया जा रहा है। जिसमें निम्नलिखित कारण से हमलोग सभी किसान अंचल कार्यालय में आपत्ति आवेदन दे रहे हैं। हमारे जमीन में सब्जी की खेती सालोभर लगा रहता है। हमारा जमीन बहुफसली है। जिसमें फुलगोभी, आलू, प्याज, दलहन, तेलहन, लहसुन, गेहूँ, धान, धनिया, हत्यादि की खेती होती है। इन फसलों से हमें प्रति Decimilitre 10 हजार का लाभ मिलता है। (2) हमलोग के जमीन में आम का बगीचा, अमरुद का बगीचा,सागवान	मास्टर प्लान कार्यान्वयन के क्रम में भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित प्रावधान बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अध्याय-IX में किए गए हैं। मास्टर प्लान क्षेत्र में किसी क्षेत्र का समावेश उसके भविष्य को ध्यान में रखते हुए सुनियोजित विकास को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। विकास की सम्भावनाओं के क्षेत्रों को मास्टर प्लान एरिया में शामिल नहीं करने पर बेतरतीब विकास की सम्भावना बनी रहती है। इसी के आलोक में मास्टर प्लान क्षेत्र में शामिल किया गया है। मास्टर प्लान में Agriculture Zone एवं Conservation Zone में आता है। इसमें कृषि कार्य किया जा सकता है।

Shr.

अर्जुन सिंह

अर्जुन सिंह

		<p>के वृक्ष, शीशम के वृक्ष लगा हुआ है। जो हमलोग को सालाना आमदनी अच्छा होता है।</p> <p>(3) कृषि आमदनी से ही हमारे परिवार का खाद्य समस्या, पढ़ाई लिखाई, दवा की व्यवस्था होती है।</p> <p>(4) सबसे प्रमुख आपत्ति हमारे आने वाले वंशज अर्थात् नीचली पीढ़ी का है। लोग कहीं घर बनाकर रहेंगे।</p> <p>(5) हमलोग के खेत से 200 फीट की दूरी पर सभी किसान का बोरिंग हैं जिसमें डीजल पम्प सेट और बिजली पम्प सेट व चलाते हैं। इसलिए हमलोग का जमीन अधिग्रहण करने लायक नहीं है।</p> <p>अतः आपसे निवेदन है कि हमलोग का जमीन अधिग्रहण नहीं किया जाय।</p>	
07	<p>श्री नितीश कुमार पिता-स्व० महेन्द्र प्रसाद ग्राम-आदिलपुर पो०-फतुहा प्रखण्ड - थाना- खुसरूपुर पंचायत-हरदास बिगहा जिला-पटना (बिहार)</p>	<p>श्रीमान अंचलाधिकारी महोदय भूमि अधिग्रहण नहीं करने के सम्बन्ध में। थाना नं-122, 123, मौजा हरदास बिगहा चादर नं-1 और 2, कुर्था-1 और 22, खिरोधरपुर 1 मेरा जमीन भूमी अधिग्रहण (मास्टर प्लान) जिला-पटना में लिया जा रहा है। जिसमें निम्नलिखित कारण से हमलोग सभी किसान अंचल कार्यालय में आपत्ति आवेदन दे रहे हैं।</p> <p>हमारे जमीन में सब्जी की खेती सालोभर लगा रहता है। हमारा जमीन बहुफसली है। जिसमें फुलगोभी, आलू, प्याज, दलहन, तेलहन, लहसुन, गेहूँ, धान, धनिया, हत्यादि की खेती होती है। इन फसलों से हमें प्रति Decimillitre 10 हजार का लाभ मिलता है।</p> <p>(2) हमलोग के जमीन में आम का बगीचा, अमरूद का बगीचा, सागवान के वृक्ष, शीशम के वृक्ष लगा हुआ है। जो हमलोग को सालाना आमदनी अच्छा होता है।</p> <p>(3) कृषि आमदनी से ही हमारे परिवार का खाद्य समस्या, पढ़ाई लिखाई, दवा की व्यवस्था होती है।</p> <p>(4) सबसे प्रमुख आपत्ति हमारे आने वाले वंशज अर्थात् नीचली पीढ़ी का है। लोग कहीं घर बनाकर रहेंगे।</p> <p>(5) हमलोग के खेत से 200 फीट की दूरी पर सभी किसान का बोरिंग हैं जिसमें डीजल पम्प सेट और बिजली पम्प सेट व चलाते हैं। इसलिए हमलोग का जमीन अधिग्रहण करने लायक नहीं है।</p> <p>अतः आपसे निवेदन है कि हमलोग का जमीन अधिग्रहण नहीं किया जाय।</p>	<p>मास्टर प्लान कार्यान्वयन के क्रम में भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित प्रावधान बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अध्याय-IX में किए गए हैं। मास्टर प्लान क्षेत्र में किसी क्षेत्र का समावेश उसके भविष्य को ध्यान में रखते हुए सुनियोजित विकास को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। विकास की सम्भावनाओं के क्षेत्रों को मास्टर प्लान एरिया में शामिल नहीं करने पर बेतरतीब विकास की सम्भावना बनी रहती है। इसी के आलोक में मास्टर प्लान क्षेत्र में शामिल किया गया है।</p> <p>मास्टर प्लान में Agriculture Zone एवं Conservation Zone में आता है। इसमें कृषि कार्य किया जा सकता है।</p>

खुसरूपुर

AS 32/10/10

OM

श्री. ओ. ए. व.

व.

08	खुसरपुर	श्री गोन्धारी सिंह ग्राम-हशोपुर पो०-फतुहा प्रखण्ड - थाना- खुसरूपुर पंचायत-हरदास बिगहा जिला-पटना (बिहार)	मुआवजा ज्यादा से ज्यादा मात्रा में दी जाय।	मास्टर प्लान कार्यान्वयन के क्रम में भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित प्रावधान बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अध्याय-IX में किए गए हैं।
09	खुसरपुर	श्री रामजितन सिंह ग्राम-खिदोहरपुर पो०-फतुहा प्रखण्ड - थाना- खुसरूपुर पंचायत-हरदास बिगहा जिला-पटना (बिहार)	जो मास्टर प्लान में जमीन जा रहा है उसे देने से इन्कार किया जा रहा है। क्योंकि हमें इसी जमीन पर अर्थात् हमारे घर में नौकरी है और हमारा घर में बिजनस है। इसलिए हम इसी जमीन पर आधारित हैं। हमलोगों को इसी में रहने देना चाहिए हम हरदासबिगहा पंचायत में रहना चाहते हैं।	उपर की कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।
10	खुसरपुर	श्री धर्मवीर कुमार पिता-नगीना सिंह ग्राम-खिरोधरपुर पो०-फतुहा प्रखण्ड - थाना- खुसरूपुर पंचायत-हरदास बिगहा जिला-पटना (बिहार)	जो मास्टर प्लान में जमीन जा रहा है उसे देने से इन्कार किया जा रहा है। क्योंकि हमें इसी जमीन पर अर्थात् हमारे घर में नौकरी है और हमारा घर में बिजनस है। इसलिए हम इसी जमीन पर आधारित हैं। हमलोगों को इसी में रहने देना चाहिए हम हरदासबिगहा पंचायत में रहना चाहते हैं।	उपर की कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।
11	खुसरपुर	श्री विजय प्रसाद पिता-मिश्री सिंह ग्राम-खिरोधरपुर पो०-फतुहा प्रखण्ड - थाना- खुसरूपुर पंचायत-हरदास बिगहा जिला-पटना (बिहार)	जो मास्टर प्लान में जमीन जा रहा है उसे देने से इन्कार किया जा रहा है। क्योंकि हमें इसी जमीन पर अर्थात् हमारे घर में नौकरी है और हमारा घर में बिजनस है। इसलिए हम इसी जमीन पर आधारित हैं। हमलोगों को इसी में रहने देना चाहिए हम हरदासबिगहा पंचायत में रहना चाहते हैं।	उपर की कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।
12	खुसरपुर	श्री राम प्यारे सिंह पिता-स्व०सोमर सिंह ग्राम-खिरोधरपुर पो०-फतुहा प्रखण्ड - थाना- खुसरूपुर पंचायत-हरदास बिगहा जिला-पटना (बिहार)	जो मास्टर प्लान में जमीन जा रहा है उसे देने से इन्कार किया जा रहा है। क्योंकि हमें इसी जमीन पर अर्थात् हमारे घर में नौकरी है और हमारा घर में बिजनस है। इसलिए हम इसी जमीन पर आधारित हैं। हमलोगों को इसी में रहने देना चाहिए हम हरदासबिगहा पंचायत में रहना चाहते हैं।	उपर की कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।
13	खुसरपुर	श्री राम बचन सिंह पिता-स्व० घमण्डी राय ग्राम-खिरोधरपुर पो०-फतुहा प्रखण्ड - थाना- खुसरूपुर पंचायत-हरदास बिगहा जिला-पटना (बिहार)	जो मास्टर प्लान में जमीन जा रहा है उसे देने से इन्कार किया जा रहा है। क्योंकि हमें इसी जमीन पर अर्थात् हमारे घर में नौकरी है और हमारा घर में बिजनस है। इसलिए हम इसी जमीन पर आधारित हैं। हमलोगों को इसी में रहने देना चाहिए हम हरदासबिगहा पंचायत में रहना चाहते हैं।	उपर की कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।
14	खुसरपुर	श्री धर्मेन्द्र कुमार पिता-स्व० किशोरी सिंह ग्राम-खिरोधरपुर पो०-फतुहा प्रखण्ड - थाना- खुसरूपुर पंचायत-हरदास बिगहा जिला-पटना (बिहार)	मास्टर प्लान जो जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है। उसे देने को तैयार नहीं है। इसी जमीन से हमारा बाल बच्चा को पालन पोषण होता है। अतः मेरा परिवार में नौकरी नहीं है। जो भी है। इसी जमीन पर आधारित हैं। ग्रेटर पटना में हमलोग नहीं रहना चाहते हैं।	उपर की कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

15	शुसरूपुर	श्री राम सुन्दर सिंह पिता-स्व० बुदौला सिंह ग्राम-खिरोधरपुर पो०-फतुहा प्रखण्ड - थाना- खुसरूपुर पंचायत-हरदास बिगहा जिला-पटना (बिहार)	मास्टर प्लान जो जमीन अधीग्रहण किया जा रहा है। उसे देने को तैयार नहीं है। इसी जमीन से हमारा बाल बच्चा को पालन पोषण होता है। अतः मेरा परिवार में नौकरी नहीं है। जो भी है। इसी जमीन पर आधारित हैं। ग्रेटर पटना में हमलोग नहीं रहना चाहते हैं।	उपर की कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।
16	शुसरूपुर	श्री सुधीर राय पिता-स्व० राम बल्भ सिंह ग्राम-खिरोधरपुर पो०-फतुहा प्रखण्ड - थाना- खुसरूपुर पंचायत-हरदास बिगहा जिला-पटना (बिहार) मो०नं०-8757533560	मास्टर प्लान जो जमीन अधीग्रहण किया जा रहा है। उसे देने को तैयार नहीं है। इसी जमीन से हमारा बाल बच्चा को पालन पोषण होता है। अतः मेरा परिवार में नौकरी नहीं है। जो भी है। इसी जमीन पर आधारित हैं। ग्रेटर पटना में हमलोग नहीं रहना चाहते हैं।	उपर की कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।
17	शुसरूपुर	श्री विघ्नद राय पिता-स्व० लक्ष्मी राय ग्राम-खिरोधरपुर पो०-फतुहा प्रखण्ड - थाना- खुसरूपुर पंचायत-हरदास बिगहा जिला-पटना (बिहार)	मास्टर प्लान जो जमीन अधीग्रहण किया जा रहा है। उसे देने को तैयार नहीं है। इसी जमीन से हमारा बाल बच्चा को पालन पोषण होता है। अतः मेरा परिवार में नौकरी नहीं है। जो भी है। इसी जमीन पर आधारित हैं। ग्रेटर पटना में हमलोग नहीं रहना चाहते हैं।	उपर की कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।
18	शुसरूपुर	श्री सत्येन्द्र प्रसाद पिता-स्व० रामधारी सिंह ग्राम-धनराज टोला पो०-फतुहा प्रखण्ड - थाना- खुसरूपुर पंचायत-हरदास बिगहा जिला-पटना (बिहार)	जिला पटना का निवासी हूँ। आपत्ति मेरा जमीन मास्टर प्लान में जो जमीन लेने के लिए है। वह जमीन से सभी परिवार का जीविका चलता है। उस जमीन को मैं देना नहीं चाहता या मैं जमीन नहीं दूँ श्री मान् से प्रार्थना है कि जमीन नहीं लिया जाय।	उपर की कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।
19	शुसरूपुर	श्री संजय कुमार पिता-स्व० कृष्ण सिंह ग्राम-धनराज टोला पो०-फतुहा प्रखण्ड - थाना- खुसरूपुर पंचायत-हरदास बिगहा जिला-पटना (बिहार)	जिला पटना का निवासी हूँ। आपत्ति मेरा जमीन मास्टर प्लान में जो जमीन लेने के लिए है। वह जमीन से सभी परिवार का जीविका चलता है। उस जमीन का मैं देना नहीं चाहता या मैं जमीन नहीं दूँ श्री मान् से प्रार्थना है कि जमीन नहीं लिया जाय।	उपर की कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।
20	शुसरूपुर	श्री राम स्वगारथ सिंह पिता-स्व० दिना नाथ सिंह ग्राम-धनराज टोला पो०-फतुहा प्रखण्ड - थाना- खुसरूपुर पंचायत-हरदास बिगहा जिला-पटना (बिहार)	-----	-----
21	शुसरूपुर	श्री विनय भूषण सिंह पिता-स्व० रामाशिष सिंह ग्राम-धनराज टोला पो०-फतुहा प्रखण्ड - थाना- खुसरूपुर पंचायत-हरदास बिगहा जिला-पटना (बिहार)	यह खेती से हमारे भोजन चल रहा है और हमारे पास किसी भी विजनस नहीं है। हम हरदास विघा पंचायत में रह रहा हूँ।	मास्टर प्लान में ग्रामीण क्षेत्र में Agriculture Zone एवं Conservation Zone में कृषि कार्य पर रोक नहीं है। खेती करने वाले क्षेत्र में खेती करने पर रोक नहीं है।
22	शुसरूपुर	श्री रामाकान्त कुमार पिता-स्व० रामाशिष सिंह ग्राम-धनराज टोला पो०-फतुहा प्रखण्ड - थाना- खुसरूपुर पंचायत-हरदास बिगहा	यह खेती से हमारे भोजन चल रहा है और हमारे पास किसी भी विजनस नहीं है। हम हरदास बिगहा पंचायत में रह रहा है।	मास्टर प्लान में ग्रामीण क्षेत्र में Agriculture Zone एवं Conservation Zone में कृषि कार्य पर रोक नहीं है। खेती करने वाले क्षेत्र में खेती करने पर

		जिला-पटना (बिहार)		रोक नहीं है।
23	शुभकपुर	श्री नागेन्द्र ठाकुर विजेन्द्र ठाकुर रविन्द्र ठाकुर  पिता-चमरी ठाकुर ग्राम-गोबिन्दपुर पो०-फतुहा प्रखण्ड - थाना- खुसरूपुर पंचायत-हरदास बिगहा जिला-पटना (बिहार)	जिला पटना का निवासी हूँ। मेरा जो जमीन थाना नं०-121 खता नं०-27 प्लॉट 38 रकबा 15/2 डि० है। हमें इतना ही जमीन है जिसमें हमारे परिवार का रहने के लिए है। इसमें हमलोग तीन भाई हैं परिवार का सदस्य बढ़कर 15 का संख्या में हो गई है। इसलिये यह जमीन नहीं लिया जाय। क्योंकि रहने के लिये हमारे पास सिर्फ यह जमीन के अलावे और दूसरा नहीं है।	मास्टर प्लान क्षेत्र में आने पर जमीन के अधिग्रहण की कार्यवाई मास्टर प्लान कार्यान्वयन के क्रम में भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित प्रावधान बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अध्याय-IX में किए गए हैं।
24	शुभकपुर	श्री राजकुमार ठाकुर पिता-स्व० विशुनदेव ठाकुर ग्राम-खिरोधरपुर पो०-फतुहा प्रखण्ड - थाना- खुसरूपुर पंचायत-हरदास बिगहा जिला-पटना (बिहार)	मैं राजकुमार ठाकुर पिता विशुनदेव ठाकुर मोहल्ला दाउदचक लगला पटना सिटी का रहने वाला है। मेरा जमीन जो महाल कुर्था थाना नं०-123 खाता 61 प्लॉट 931 एरानी 10/3 डि० है। यह जमीन हम मकान में बनाने हेतु 1976 में खरीदा हूँ क्योंकि हमें रहने के लिये एकमात्र यह मात्र जमीन है। इसे सरकार नहीं ले क्यों कि इस जमीन में मकान बनाने हेतु। इसलिये इस जमीन को मास्टर प्लान के तहत नहीं लेने की कृपा की जाय।	उपर की कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।
25	शुभकपुर	श्री रामकुमार ठाकुर पिता-स्व० विशुनदेव ठाकुर ग्राम-खिरोधरपुर पो०-फतुहा प्रखण्ड - थाना- खुसरूपुर पंचायत-हरदास बिगहा जिला-पटना (बिहार)	मैं राजकुमार ठाकुर पिता विशुनदेव ठाकुर मोहल्ला दाउदचक लगला पटना सिटी का रहने वाला है। मेरा जमीन जो महाल कुर्था थाना नं०7123 खाता 61 प्लॉट 931 एरानी 10/3 डि० है। यह जमीन हम मकान में बनाने हेतु 1976 में खरीदा हूँ क्योंकि हमें रहने के लिये एकमात्र यह मात्र जमीन है। इसे सरकार नहीं ले क्यों कि इस जमीन के मकान बनाने हेतु हे। इसलिये इस जमीन को मास्टर प्लान के तहत नहीं लेने की कृपा की जाय।	उपर की कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।
26	शुभकपुर	श्री मधुसूदन सिंह पिता-श्री राम स्वारथ सिंह ग्राम-पैगाम्बरपुर पो०-फतुहा प्रखण्ड - थाना- खुसरूपुर पंचायत-हरदास बिगहा जिला-पटना (बिहार) मो०नं०-8434091757	_____	_____
27	शुभकपुर	श्री दिलीप कुमार पिता-स्व० राम विलास सिंह ग्राम-पैगाम्बरपुर पो०-फतुहा प्रखण्ड - थाना- खुसरूपुर पंचायत-हरदास बिगहा जिला-पटना (बिहार) मो०नं०-9608115183	_____	_____

37/12

Shr.

all

6



28	शुसरूपुर	श्री राम शंकर सिंह पिता-स्व० शिव महादेव सिंह ग्राम-युसुफपुर पो०-फतुहा प्रखण्ड - थाना- खुसरूपुर पंचायत-हरदास बिगहा जिला-पटना (बिहार) मो०नं०-7654078049		
29	शुसरूपुर	श्री शिवजी राय पिता-स्व०गरम राय ग्राम-खिरोधरपुर पो०-फतुहा प्रखण्ड - थाना- खुसरूपुर पंचायत-हरदास बिगहा जिला-पटना (बिहार)	यह जमीन अधिक उपजाऊ है। यहाँ विभिन्न प्रकार की फसले उगाई जाती है। जैसे गेहूँ चावल मक्का, चना, सरसों, आलू इत्यादि यहह उपजाऊ जमीन हमलोगों का जीविका का मुख्य स्रोत हैं हमलोग का आर्थिक क्रिया कलाप का मुख्य साधन कृषि है।	मास्टर प्लान म ग्रामीण क्षेत्र में Agriculture Zone एवं Conservation Zone में पड़ने पर कृषि कार्य पर रोक नहीं लगाया गया है। खेती करने वाले क्षेत्र में खेती करने पर रोक नहीं है।
30	शुसरूपुर	श्री विजय सिंह पिता-होरिल सिंह दादा-हनुमान महतो ग्राम-खिरोधरपुर पो०-फतुहा प्रखण्ड - थाना- खुसरूपुर पंचायत-हरदास बिगहा जिला-पटना (बिहार)	यह जमीन अधिक उपजाऊ है। यहाँ विभिन्न प्रकार की फसले उगाई जाती है। जैसे गेहूँ चावल मक्का, चना, सरसों, आलू इत्यादि यहह उपजाऊ जमीन हमलोगों का जीविका का मुख्य स्रोत हैं हमलोग का आर्थिक क्रिया कलाप का मुख्य साधन कृषि है। हम लोग का थोड़ा जमीन होने के कारण इसी से सब कुछ होता है। बच्ची की विवाह आदि भी खेती से करते है।	मास्टर प्लान म ग्रामीण क्षेत्र में Agriculture Zone एवं Conservation Zone में पड़ने पर कृषि कार्य पर रोक नहीं लगाया गया है। खेती करने वाले क्षेत्र में खेती करने पर रोक नहीं है।
31	शुसरूपुर	श्री गोन्धारी राय पिता-राम भजन राय ग्राम-खिरोधरपुर पो०-फतुहा प्रखण्ड - थाना- खुसरूपुर पंचायत-हरदास बिगहा जिला-पटना (बिहार)	यह जमीन अधिक उपजाऊ है। यहाँ विभिन्न प्रकार की फसले उगाई जाती है। जैसे गेहूँ चावल मक्का, चना, सरसों, आलू इत्यादि यहह उपजाऊ जमीन हमलोगों का जीविका का मुख्य स्रोत हैं हमलोग का आर्थिक क्रिया कलाप का मुख्य साधन कृषि है। हम लोग का थोड़ा जमीन होने के कारण इसी से सब कुछ होता है। हम लोग जमीन पर ही आधारित है।	मास्टर प्लान म ग्रामीण क्षेत्र में Agriculture Zone एवं Conservation Zone में पड़ने पर कृषि कार्य पर रोक नहीं लगाया गया है। खेती करने वाले क्षेत्र में खेती करने पर रोक नहीं है।
32	शुसरूपुर	श्री रामजी सिंह ग्राम-इसोफरपुर पो०-फतुहा प्रखण्ड - थाना- खुसरूपुर पंचायत-हरदास बिगहा जिला-पटना (बिहार)	मैं रामजी सिंह हम अपना जमीन नहीं देना चाहता हूँ कृषि कि यह जमीन बहुत उपजाऊ है और हमलोग अपना जमीन नहीं देना चाहते है और अगर हमलोग कि जमीन ले लिया जाय तो हमलोग बेघर हो जाएंगे।	मास्टर प्लान म ग्रामीण क्षेत्र में Agriculture Zone एवं Conservation Zone में पड़ने पर कृषि कार्य पर रोक नहीं लगाया गया है। खेती करने वाले क्षेत्र में खेती करने पर रोक नहीं है।
33	शुसरूपुर	श्री चन्द्र सिंह ग्राम-इसोफरपुर पो०-फतुहा प्रखण्ड - थाना- खुसरूपुर पंचायत-हरदास बिगहा जिला-पटना (बिहार)	मैं रामजी सिंह हम अपना जमीन नहीं देना चाहता हूँ कृषि कि यह जमीन बहुत उपजाऊ है और हमलोग अपना जमीन नहीं देना चाहते है और अगर हमलोग कि जमीन ले लिया जाय तो हमलोग बेघर हो जाएंगे।	मास्टर प्लान म ग्रामीण क्षेत्र में Agriculture Zone एवं Conservation Zone में पड़ने पर कृषि कार्य पर रोक नहीं लगाया गया है। खेती करने वाले क्षेत्र में खेती करने पर रोक नहीं है।
34	शुसरूपुर	श्री सुरेश प्रसाद पिता-स्व० राम औतार राय ग्राम-खिरोधरपुर पो०-फतुहा प्रखण्ड - थाना- खुसरूपुर पंचायत-हरदास बिगहा	मैं सुरेश प्रसाद पिता स्व० राम औतार राय ग्राम नया टोला खिरोधरपुर में जमीन नहीं देना चाहते है। हमारे जमीन चार फसल के है। इस जमीन में सालोंभर खेती लगा रहता है।	मास्टर प्लान म ग्रामीण क्षेत्र में Agriculture Zone एवं Conservation Zone में पड़ने पर कृषि कार्य पर रोक नहीं लगाया गया है। खेती करने वाले क्षेत्र में खेती करने पर रोक नहीं है।

		जिला-पटना (बिहार)		है।
35	खुसरपुर	श्री टून्ना राय ग्राम-खिरोधरपुर पो०-फतुहा प्रखण्ड - थाना- खुसरपुर पंचायत-हरदास बिगहा जिला-पटना (बिहार)	मैं टून्ना राय हम अपना जमीन नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि यह जमीन बहुत उपजाऊ है और हमलोग अपना जमीन नहीं देना चाहते हैं और हमलोग कि जमीन को उपजाऊ है।	मास्टर प्लान म ग्रामीण क्षेत्र में Agriculture Zone एवं Conservation Zone में पड़ने पर कृषि कार्य पर रोक नहीं लगाया गया है। खेती करने वाले क्षेत्र में खेती करने पर रोक नहीं है।
36	खुसरपुर	श्री देवेन्द्र सिंह ग्राम-खिरोधरपुर पो०-फतुहा प्रखण्ड - थाना- खुसरपुर पंचायत-हरदास बिगहा जिला-पटना (बिहार)	मैं देवेन्द्र सिंह हम अपना जमीन नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि यह जमीन बहुत उपजाऊ है और हमलोग और अपना जमीन नहीं देना चाहते हैं।	मास्टर प्लान म ग्रामीण क्षेत्र में Agriculture Zone एवं Conservation Zone में पड़ने पर कृषि कार्य पर रोक नहीं लगाया गया है। खेती करने वाले क्षेत्र में खेती करने पर रोक नहीं है।
37	खुसरपुर	श्री राजेश्वर ठाकुर पिता-स्व० अयोध्या ठाकुर ग्राम-खिरोधरपुर पो०-फतुहा प्रखण्ड - थाना- खुसरपुर पंचायत-हरदास बिगहा जिला-पटना (बिहार)	थाना नं-122, खाता संख्या-596/15, खेसरा 1326/669, 1327/670, रकवा 27 डी0, 23 डी0 यह जमीन मेरे पिताजी स्व० अयोध्या ठाकुर के नाम से है मैं पाँच भाई हूँ। परमानन्द ठाकुर, दयानन्द ठाकुर, रामानन्द ठाकुर, रामवेश्वर ठाकुर, महेश ठाकुर। हम पाँचो भाई में टोटल 14 बच्चे हैं जो मेरे बच्चे के लिए प्राप्त जमीन है। यह जमीन सरकार को लेने पर हमलोग को घर बनाने के लिए भी जमीन नहीं बचेगा इसलिए मेरा जमीन लेने पर घर बनाने के लिए उचित जगह पर जमीन व्यवस्था की जाय।	मास्टर प्लान कार्यान्वयन के क्रम में भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित प्रावधान बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अध्याय-IX में किए गए हैं। मास्टर प्लान क्षेत्र में किसी क्षेत्र का समावेश उसके भविष्य को ध्यान में रखते हुए सुनियोजित विकास को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। विकास की सम्भावनाओं के क्षेत्रों को मास्टर प्लान एरिया में शामिल नहीं करने पर बेतरतीब विकास की सम्भावना बनी रहती है। इसी के आलोक में मास्टर प्लान क्षेत्र में शामिल किया गया है। मास्टर प्लान में Agriculture Zone एवं Conservation Zone में आता है। इसमें कृषि कार्य किया जा सकता है।
38	खुसरपुर	श्री बालेश्वर प्रसाद पिता-रामचन्द्र सिंह ग्राम-खिरोधरपुर पो०-फतुहा प्रखण्ड - थाना- खुसरपुर पंचायत-हरदास बिगहा जिला-पटना (बिहार)	मैं दो भाई हूँ। मेरा प्लॉट नं०- 636, 361, 631, 519, 484, 518, 589 इत्यादि है। इस जमीन से मेरा परिवार का भरण पोषण होता है तथा जीविका का एक मात्र साधन है। इस जमीन में तीन फसल होता है। जैसे-धान, गेहूँ और मकड़ एवं सब्जी का खेती होता है।	मास्टर प्लान कार्यान्वयन के क्रम में भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित प्रावधान बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अध्याय-IX में किए गए हैं। मास्टर प्लान क्षेत्र में किसी क्षेत्र का समावेश उसके भविष्य को ध्यान में रखते हुए सुनियोजित विकास को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। विकास की सम्भावनाओं के क्षेत्रों को मास्टर प्लान एरिया में शामिल नहीं करने पर बेतरतीब विकास की सम्भावना बनी रहती है। इसी के आलोक में मास्टर प्लान क्षेत्र में शामिल किया गया है। मास्टर प्लान में Agriculture Zone एवं Conservation Zone में आता है। इसमें कृषि कार्य किया जा सकता है।

37/12

Shr. All

10

39	खुसरूपुर	श्री बालवेश्वर प्रसाद पिता-रामचन्द्र सिंह ग्राम-खिरोधरपुर पो०-फतुहा प्रखण्ड - थाना- खुसरूपुर पंचायत-हरदास बिगहा जिला-पटना (बिहार)	अगर यह जमीन सरकार अधिग्रहण करती है। तो सभी परिवार को बेरोजगार वन इसीलिए निम्नलिखित शर्तों पर जमीन लिया जा सकता है - (1) यह जमीन तीन फसल है। (2) यह जमीन में धान, गेहूँ, मकई एवं सब्जी की खेती होती है। (3) पटना मास्टर प्लान से अलग रखा जाय। (4) अगर सरकार लोग चाहती है तो दीघा बदोबस्ती के हिसाब से 27 लाख रुपये प्रति कठठा किसान को भूगतान किया जाय। (5) इस जमीन को जीप पर लिया जाय। (6) प्रति कठठा 20 लाख रुपये दिया जाय। (7) प्रति किसान को नौकरी दिया जाय। (8) मास्टर प्लान रेलवे लाईन से दक्षिण एरिया लिया जाय क्योंकि उत्तरी एरिया की जनसंख्या काफी बढ़ रही है। यह जमीन में गाँव ग्राम वसने के लिये छोड़ दिया जाय।	मास्टर प्लान कार्यान्वयन के क्रम में भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित प्रावधान बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अध्याय-IX में किए गए हैं। मास्टर प्लान क्षेत्र में किसी क्षेत्र का समावेश उसके भविष्य को ध्यान में रखते हुए सुनियोजित विकास को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। विकास की सम्भावनाओं के क्षेत्रों को मास्टर प्लान एरिया में शामिल नहीं करने पर बेतरतीब विकास की सम्भावना बनी रहती है। इसी के आलोक में मास्टर प्लान क्षेत्र में शामिल किया गया है। मास्टर प्लान में Agriculture Zone एवं Conservation Zone में आता है। इसमें कृषि कार्य किया जा सकता है।
40	खुसरूपुर	श्री नेमचन सिंह पिता-चन्द्र सिंह ग्राम-युसुफपुर पो०-फतुहा प्रखण्ड - थाना- खुसरूपुर पंचायत-हरदास बिगहा जिला-पटना (बिहार)	जमीन हमारा मशाला वाला और मकान वाला है।	मास्टर प्लान म ग्रामीण क्षेत्र में Agriculture Zone एवं Conservation Zone में पड़ने पर कृषि कार्य पर रोक नहीं लगाया गया है। खेती करने वाले क्षेत्र में खेती करने पर रोक नहीं है।
41	खुसरूपुर	श्री मुरत सिंह पिता-स्व० रामा औतार ग्राम-खिरोधरपुर पो०-फतुहा प्रखण्ड - थाना- खुसरूपुर पंचायत-हरदास बिगहा जिला-पटना (बिहार)	मैं श्री मुरत सिंह पिता स्व० रामा औतार सिंह मैं अपना जमीन नहीं दना चाता हूँ क्योंकि यह जमीन बहुत उपजाऊ है और हमारे घर बनाने का जमीन है। हमलोगा कहाँ घर बनायेगें ।	मास्टर प्लान कार्यान्वयन के क्रम में भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित प्रावधान बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अध्याय-IX में किए गए हैं। मास्टर प्लान क्षेत्र में किसी क्षेत्र का समावेश उसके भविष्य को ध्यान में रखते हुए सुनियोजित विकास को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। विकास की सम्भावनाओं के क्षेत्रों को मास्टर प्लान एरिया में शामिल नहीं करने पर बेतरतीब विकास की सम्भावना बनी रहती है। इसी के आलोक में मास्टर प्लान क्षेत्र में शामिल किया गया है। मास्टर प्लान में Agriculture Zone एवं Conservation Zone में आता है। इसमें कृषि कार्य किया जा सकता है।
42	खुसरूपुर	श्री विनोद सिंह पिता-स्व० रामबाबू सिंह ग्राम-खिरोधरपुर पो०-फतुहा प्रखण्ड - थाना- खुसरूपुर पंचायत-हरदास बिगहा जिला-पटना (बिहार)	विनोद सिंह उनके बेटा है। इसलिए हम अपना जमीन नहीं देना चाहते हैं क्योंकि हमका जमीन बजार के लिए है अगर जमीन लिया जाय तो 2000000 बीस लाख का मुआवजा दिया जाय।	मास्टर प्लान कार्यान्वयन के क्रम में भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित प्रावधान बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अध्याय-IX में किए गए हैं।

43	शुसरपुर	श्री लालमणि सिंह पिता-स्व० राम इक्टर सिंह ग्राम-खिरोधरपुर पो०-फतुहा प्रखण्ड - थाना- खुसरपुर पंचायत-हरदास बिगहा जिला-पटना (बिहार)	-----	-----
44	शुसरपुर	श्री सिहेक्टर सिंह पिता-स्व० सिया राम सिंह ग्राम-खिरोधरपुर पो०-फतुहा प्रखण्ड - थाना- खुसरपुर पंचायत-हरदास बिगहा जिला-पटना (बिहार)	-----	-----
45	शुसरपुर	श्री लाला सिंह पिता-स्व० लालू सिंह ग्राम-खिरोधरपुर पो०-फतुहा प्रखण्ड - थाना- खुसरपुर पंचायत-हरदास बिगहा जिला-पटना (बिहार)	-----	-----
46	शुसरपुर	श्री सुबोध कुमार श्री राजकुमार सिंह पिता-स्व० मथुरा सिंह ग्राम-खिरोधरपुर पो०-फतुहा प्रखण्ड - थाना- खुसरपुर पंचायत-हरदास बिगहा जिला-पटना (बिहार)	हमलोग का जमीन मार्केट के लिए हैं । इसलिए जमीन नहीं देना चाहते है और जमीन लिया जायेगा तो रेट बीस लाख प्रति कठठा दिया जाय ।	मास्टर प्लान कार्यान्वयन के क्रम में भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित प्रावधान बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अध्याय-IX में किए गए हैं। आवेदक द्वारा विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है।
47	शुसरपुर	श्री नसीब लाल सिंह पिता-स्व० सीता राम सिंह ग्राम-खिरोधरपुर पो०-फतुहा प्रखण्ड - थाना- खुसरपुर पंचायत-हरदास बिगहा जिला-पटना (बिहार)	हमलोग का जमीन मार्केट के लिए हैं । इसलिए जमीन नहीं देना चाहते है और जमीन लिया जायेगा तो रेट बीस लाख प्रति कठठा दिया जाय ।	मास्टर प्लान कार्यान्वयन के क्रम में भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित प्रावधान बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अध्याय-IX में किए गए हैं। आवेदक द्वारा विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है।
48	शुसरपुर	श्री सीता राम सिंह पिता-स्व० राम प्रसाद सिंह ग्राम-खिरोधरपुर पो०-फतुहा प्रखण्ड - थाना- खुसरपुर पंचायत-हरदास बिगहा जिला-पटना (बिहार)	सीता राम सिंह मेरा जमीन मार्केट के लिए है तथा उससे हमारी जीवन यापन का सम्बन्ध जमीन का प्लॉट नं०-440, खाता नं०-135 है एवं 439 एवं खाता 135 प्लॉट नं०7424 खाता नं०-135 के सम्बन्ध में आपत्ति है कि मेरा जमीन को नहीं लिया जाय।	मास्टर प्लान कार्यान्वयन के क्रम में भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित प्रावधान बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अध्याय-IX में किए गए हैं। आवेदक द्वारा विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है।
49	39	संजय कुमार एवं अन्य, विषय- फुलवारी प्रमंडल के अंतर्गत शिवाला से नौबतपुर मुख्य मार्ग को रेड जोन में दिखाए जाने के संबंध में।	आवेदक द्वारा प्लॉट सं०, गाँव, खड़कचक, बोधगया खाता सं० उल्लेखित किया गया है एवं आग्रह किया गया है कि वर्णित प्लॉट सं० के प्लॉट को रेड जोन से निकाल कर आवासीय एवं व्यवसायिक जोन में रखा जाय। इसके बाद आहर के दक्षिण पूरब क्षेत्र जो ओपेन स्पेश एवं बफर जोन दिखलाया गया है उसे आवासिय जोन में रखने हेतु सहमति दी जाती है।	मास्टर प्लान में चिन्हित रेड रंग से अभिप्राय है Public एवं Semi Public Landuse Zone । इस Usezone में अनुज्ञेय भवनों का विवरण बिहार भवन उपविधि, 2014 के अध्याय-III, उपविधि-28, सारणी-4 में किया गया है। इस सारणी के कॉलम-3 (Uses/Activities Permissible on Approvals by Authority) में इस युजजोन में आवासीय प्लैट्स आदि के निर्माण की अनुमति का उल्लेख है। इस युजजोन में

				<p>व्यक्तिगत स्वामित्व वाले भूखण्ड पर भूखण्ड के सामने के सड़क की चौड़ाई, भूखण्ड का क्षेत्रफल के आधार पर व्यक्तिगत आवासीय भवनों एवं मिक्स्ड लैंडयुज की अनुमति पर विचार किया जा सकता है।</p> <p>अन्य जोन में व्यक्तिगत स्वामित्व वाले भूखण्डों पर आवेदन में वर्णित कुछ प्लॉट सं० ओपेन स्पेश/बफर जोन में आते हैं। इस जोन के सम्बन्ध में Draft Development Control Regulations for Patna, 2031 की कंडिका-1.6 में प्रावधान किए गये हैं। इस क्षेत्र में व्यक्तिगत स्वामित्व वाले भूखण्डों पर अनुज्ञेय भवनों की अनुमति के सम्बन्ध में स्थल निरीक्षण एवं कन्सलटेन्ट से विमर्श कर उपयुक्त अनुशंसा की जा सकती है।</p>
50	64	<p>प्रो० अशोक कुमार, B.N. College, Patna विषय- व्यवसायिक क्षेत्र घोषित करने के संबंध में।</p>	<p>1. कदमकुआँ मोहल्ले में मथुरा प्रसाद रोड को प्रस्तावित मास्टर प्लान में व्यवसायिक क्षेत्र के रूप में सम्मिलित किया जाए। 2. शास्त्रीनगर सटे पूर्व के क्षेत्र को प्रस्तावित मास्टर प्लान में व्यवसायिक क्षेत्र के रूप में सम्मिलित किया जाए।</p>	<p>पूर्व पी०आर०डी०ए० मास्टर प्लान, भूखण्ड की प्रकृति के आधार पर कन्सलटेन्ट से विमर्श कर विचार किया जा सकता है। लैंडयुज आवासीय से व्यवसायिक करने के सम्बन्ध में दिनांक-30.12.14 को समिति के बैठक की अनुशंसा (कंडिका-6) के आलोक में निर्णय लिया जा सकता है।</p>
51	90	<p>चन्द्रमणि कुमार मणि, अगमकुआँ, पानी टंकी कैम्पस, गुलजारबाग, पटना-2 विषय- संरक्षित भूमि से मुक्त करने के संबंध में।</p>	<p>मास्टर प्लान में थाना सं०-14, खाता सं०-180, खेसरा सं०-1621 एवं 1622 मौजा- पहाड़ी को संरक्षित भूमि से मुक्त कर आवासीय क्षेत्र घोषित किया जाए।</p>	<p>Conservation zone के सम्बन्ध में मास्टर प्लान के साथ संलग्न Draft Development Control Regulations for Patna, 2014 की कंडिका-1.1.8 एवं 1.9 में उल्लेख किया गया है। इस क्षेत्र में व्यक्तिगत स्वामित्व वाले भूखण्डों के लिए आवासीय भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में बिहार भवन उपविधि, 2014 एव परामर्शी से विमर्श के आलोक में अनुशंसा की जाएगी।</p>
52	93	<p>Nawnil Kumar Singh, 503, Shivam Apartments, Road No.- 5 D, North S.K. Puri, Patna विषय- Commercial Area अंकित करने के संबंध में।</p>	<p>1. सगुना-खगौल रोड के दोनों तरफ व्यवसायिक एरिया घोषित करने के संबंध में। 2. दानापुर रेलवे स्टेशन के नजदीक सरारी गाँव के बीच से गुजरने वाली सड़क को इलेक्ट्रिक ग्रीड स्टेशन के पश्चिम में कर दी जाए।</p>	<p>सगुना खगौल रोड के दोनों तरफ वर्तमान में अधिकांश क्षेत्र में आवासीय, शैक्षणिक एवं व्यवसायिक गतिविधियां चल रही है। यह एक मुख्य सड़क है। भविष्य में योजनाबद्ध विकास को ध्यान में रखते हुए सगुना खगौल रोड के दोनों तरफ कन्सलटेन्ट के परामर्श से व्यवसायिक स्ट्रीप करने पर निर्णय लिया जा सकता है। 2. सरारी गाँव के पास इलेक्ट्रिक ग्रीड के पश्चिम से एक आहर गुजर रहा है। आहर एवं जमीन की उपलब्धता, Planning Concept एवं Norms के</p>

				आलोक में कन्सलटेन्ट से विचार विमर्श कर निर्णय लेने की अनुशंसा की जाती है।
53	96	रमन प्रकाश साह, भरतपुर सिमली, मालसलामी, पटनासिटी विषय-आवासीय क्षेत्र घोषित करने के संबंध में।	पटना सिटी, मालसलामी मौजा भरतपुर सिमली के प्लॉट नं०/खेसरा नं०- 1373,1375,1376,1377,1378 तथा Sheet No - 265 को मास्टर प्लान में Special Area दर्शाया गया है जबकि यह आवासीय क्षेत्र है अतः इस क्षेत्र को आवासीय क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए।	मास्टर प्लान के नक्शा में पटना नगर निगम के अधिकांश क्षेत्रों को Special Area के अन्तर्गत दर्शाया गया है। जिसके Redevelopment एवं Zonal Development के सम्बन्ध में दिनांक-12.01.2015 को आयोजित समिति की बैठक की कंडिका-2 (ix & x) में उल्लेख किया गया है।
54	97	नालन्दा, बिस्कुट क० लिमिटेड, पटना विषय- औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने के संबंध में।	नया टोला, फुलवारीशरीफ के नहोशा मौजा के प्लॉट नं०- 109 खाता नं०- 645, थाना सं०- 38 को मास्टर प्लान में औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए।	दिनांक-12.01.2015 को आयोजित समिति की बैठक में विमर्शित (कंडिका-3, iii)ए मास्टर प्लान में प्रस्तावित लैण्डयुज क्षेत्र में Non Conforming Uses के Existing Structure की सशर्त यथा स्थिति बनाये रखने के आलोक में परामर्शी से विमर्श कर निर्णय लिया जा सकता है।
55	98	मैनेजर, बॉके बिहारी फुड (प्रा०) लिमिटेड, पटना विषय-औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने के संबंध में।	मौजा दीघा के प्लॉट नं०- 1546,1577, खाता नं०- 863 एवं 852 थाना नं०- 1 को औद्योगिक/व्यवसायिक क्षेत्र घोषित किया जाए।	दिनांक-12.01.2015 को आयोजित समिति की बैठक में विमर्शित (कंडिका-3, iii)ए मास्टर प्लान में प्रस्तावित लैण्डयुज क्षेत्र में Non Conforming Uses के Existing Structure की सशर्त यथा स्थिति बनाये रखने के आलोक में परामर्शी से विमर्श कर निर्णय लिया जा सकता है। Industrial Area के सम्बन्ध में विचारणीय बिन्दुओं का उल्लेख उक्त बैठक की कंडिका-3, vi में किया गया है। उक्त के आलोक में परामर्शी से विमर्श कर विचार कर निर्णय लिया जा सकता है।
56	99	प्रबंधक, श्री बेहारीजी मिल्स प्रा० लिमिटेड, मालसलामी, पटनासिटी विषय-औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने के संबंध में।	पटना सिटी, मालसलामी मौजा भरतपुर सिमली के प्लॉट नं०/खेसरा नं०- 1373,1375,1376,1377,1378 तथा Sheet No - 265 को मास्टर प्लान में Special Area दर्शाया गया है जबकि यह औद्योगिक क्षेत्र है अतः इस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए।	इस सम्बन्ध में उपर के अन्य कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।
57	100	कार्यपालक, बिहार (चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज) विषय- औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने के संबंध में।	नया टोला, फुलवारीशरीफ के नहोशा मौजा के प्लॉट नं०- 109 खाता नं०- 645, थाना सं०- 38 को मास्टर प्लान में औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए।	औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने एवं इसके क्षेत्रफल प्रतिशत में वृद्धि करने, पूर्व अवस्थित फैक्ट्री के सम्बन्ध में उपर के अन्य कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

37/12

shr.

AW

o

58	101	श्री एस के इण्डस्ट्रीज विषय- व्यवसायिक एवं आवासीय क्षेत्र घोषित करने के संबंध में।	Ghvtal, Gola Road, दानापुर को मास्टर प्लान में कमर्शियल क्षेत्र (C1) दिखाया गया है जबकि यह कमर्शियल तथा आवासीय क्षेत्र है। इसलिए इस कमर्शियल तथा आवासीय क्षेत्र दिखाया जाए।	मास्टर प्लान में प्रस्तावित लैण्डयुज क्षेत्र में Non Conforming Uses के Existing Structure की सशर्त यथा स्थिति बनाये रखने के सम्बन्ध में उपर की अन्य कण्डिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है। यह आवासीय क्षेत्र है। लैण्डयुज आवासीय से व्यवसायिक करने के सम्बन्ध में दिनांक-30.12.14 को समिति के बैठक की अनुशंसा (कंडिका-6) के आलोक में निर्णय लिया जा सकता है।
59	102	डॉ० आर०एस०एस० सुमन, MBBS, प्रवर्तक, राष्ट्र निर्माण यज्ञ एवं युगधर्म विषय-	मास्टर प्लान पर अधिसूचना सं०-34 दि०- 14.08.14 पर आपत्ति 1. कमिटी का ना होना 2. प्रावधानों का उल्लंघन 3. कम आबादी का होना 4. कंसलटेंट का चयन का अधिकार 5. संविधान के धारा- 243 का उल्लंघन 6. आरोपों का निष्पक्ष जाँच 7. आवेदक के अध्यावेदन सं०- 30 दि०- 28.12.06	आवेदन में वर्णित कई बिन्दु पूर्व पी०आर०डी०ए० मास्टर प्लान, नक्शे के अवैध स्वीकृति, अनियमित निर्माण से सम्बन्धित है। उक्त के आलोक में वस्तुस्थिति से अवगत कराने हेतु पटना नगर निगम से अनुरोध किया गया है, जिसके प्राप्त होने के उपरान्त आवेदन में वर्णित सभी बिन्दुओं पर विचार कर अनुशंसा की जाएगी।
60	105	Hebe Ispat, अगमकुआँ, पटना विषय- औद्योगिक क्षेत्र दर्शाने के संबंध में।	अगमकुआँ (ग्रीड सं०-13) को मास्टर प्लान में क्षेत्र के रूप में दर्शाने के संबंध में।	पूर्व अवस्थित औद्योगिक इकाईयों के बारे अन्य कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।
61	106	दशरथ प्रसाद एवं अन्य विषय-आवासीय क्षेत्र दर्शाने के संबंध में।	आदमपुर मौजा में प्लॉट नं०- 270, 271, 272, 273 को आवासीय जोन में सम्मिलित करने के संबंध में।	आवेदन में वर्णित प्लॉट ग्रीड नं०-12 के अन्तर्गत आवासीय क्षेत्र में दर्शाया गया है।
62	108	प्रबंधक, बाके बिहारी फूड प्रा० लिमिटेड, मालसलामी, पटना सिटी विषय-आवासीय क्षेत्र घोषित करने के संबंध में।	पटना सिटी, मालसलामी मौजा भरतपुर सिमली के प्लॉट नं०/खेसरा नं०- 1373,1375,1376,1377,1378 तथा Sheet No - 265 को मास्टर प्लान में Special Area दर्शाया गया है जबकि यह आवासीय क्षेत्र है अतः इस क्षेत्र को आवासीय क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए।	Special Area, पूर्व अवस्थित औद्योगिक इकाईयों एवं औद्योगिक क्षेत्र के प्रतिशत क्षेत्रफल में वृद्धि के सम्बन्ध में अन्य कण्डिकाओं स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।
63	109	Speed Crafts Limited विषय- Lane Use को इन्डस्ट्रीयल/कामर्शियल क्षेत्र घोषित करने के संबंध में।	सरकार द्वारा आवंटित भूमि में लिंज डीड के आधार पर इन्डस्ट्रीयल एवं कामर्शियल गतिविधी की अनुमति के संबंध में।	आवेदन में वर्णित क्षेत्र को मास्टर प्लान के ग्रीड-12 में Industrial एव Public and Semi Public दिखाया गया है। जो वर्तमान हवाई अड्डा के करीब है। आवेदन में वर्णित Leasedeed के आधार पर कामर्शियल गतिविधि अनुज्ञा के सम्बन्ध में परामर्शी से विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया जा सकता है।
64	112	निदेशक, प्लेटिनम इस्पात इन्डस्ट्रम प्रा० लिमिटेड, सिमलीमुरारपुर (कोठीया) विषय-औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने के संबंध में।	सिमलीमुरारपुर के क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करना चाहिए क्योंकि वहां पहले से निम्न फैक्ट्रियाँ बनी हुई है। 1. प्लैटिनम ईस्पात इन्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड 2. जे०जी० फॉन्डी 3. गोवर्धन इस्पात	पूर्व अवस्थित औद्योगिक इकाईयों के बारे अन्य कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।